1-6-16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत में अवकाश पर पेश
हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। विपक्षी की ओर से
पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी-वादी का वाद पत्र
सिद्ध नहीं होने से वाद पत्र खारिज किया जा चुका
है वाद पत्र खारिज हो जाने के कारण इस प्रार्थना
पत्र का विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है
अतः यह प्रार्थना पत्र भी बकी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली बैजान शुमार की जाकर
मूल वाद के साथ शामिल किया जावे। [signature]